राज्य परिवहन निगमों पर लटकी तलवार - रक्षा के लिए आगे बढ़ो

सड़क परिवहन मजदूर संगठनों की अखिल भारतीय समन्वय समिति का आह्वान!

08–09 जनवरी 2019 की हड़ताल में शामिल हों और सफल बनाओ

साथियों,

देश में सभी राज्य परिवहन निगम गम्भीर संकट में हैं। केन्द्र सरकार द्वारा लाया गया एम.वी. एक्ट संशोधन विधेयक राज्य परिवहन निगमों की प्राकृतिक मौत का कारण बनेगा। सभी सार्वजनिक उद्यमों और वित्तीय संस्थानों का विनिवेश या निजीकरण करने की वर्तमान एनडीए सरकार की नीति है। यही वह समय है जब मजदूर वर्ग को उठ खड़े होकर सरकार की अधोगामी नीतियों के खिलाफ लड़कर परास्त करना होगा। 18 दिसम्बर 2018 को नई दिल्ली में सड़क परिवहन मजदूर संगठनों की अखिल भारतीय समिति जिसमें इन्टक, एटक, एच.एम.एस., सीटू, ए. आई.सी.सी.टी.यू., टी.यू.सी.आई. एल.पी.एफ. और स्वतंत्र यूनियनें शामिल हैं, की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें दो दिन की देशव्यापी हड़ताल बुलाने का निर्णय सर्वसम्मति से हुआ। ऑल इण्डिया रोड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन सडक परिवहन से जुड़े सभी मजदूरों और साझेदारों से 8–9 जनवरी 2019 की हड़ताल में भारी तादाद में शामिल होने का आह्वान करता है।

आज देश में सभी राज्य सड़क परिवहन निगम गंभीर वित्तीय संकट में है। डीजल की कीमतों में असामान्य वृद्धि मोटर वाहन कर, उत्पाद कर ने निगमों की वित्तीय स्थिति पर भारी बोझ डाला है। राज्य सरकारें भी अकसर समाज के विभिन्न वर्गों को दी जाने वाली रियायतों की भी भरपाई नहीं करती है। राज्य सरकारें विभिन्न स्त्रोत देख रहे होते हैं जबकि निजी संचालक अवैद्य रूप में अपने बड़े संचालन करते हैं। ऐसा कई राज्यों में देखने में आया है कि सत्तासीन या विपक्षी दल खुद या अपने दल के करीबी लोगों या रिश्तेदारों के माध्यम से सड़क परिवहन संचालित करते है। जहां राज्य परिवहन निगम सामाजिक जिम्मेदारी के तहत परिवहन व्यवस्था के चला रहे हैं वहीं निजी संचालक ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए लड़ रहे हैं। सड़क परिवहन उपक्रमों में छा रहे वित्तीय संकट के लिए राज्य सरकारों श्रमिकों पर अक्षम होने का आरोप लगाकर उन्हें बलि का बकरा बना रहा है।

कई राज्यों में श्रमिकों के वेतन का भुगतान महीनों तक लबित रखा जाता है तथा सेवानिवृत कर्मचारियों के सेवा निवृति के उपरांत मिलने वाले लाभ व पेंशन भुगतान को भी लांबित रखा जा रहा है। खाली पदों पर नियुक्तियां नहीं होने के कारण कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी आ रही है, तथा मौजुदा कर्मचारियों पर काम का अत्याधिक बोझ आ रहा है। चालकों, कंडैक्टरों और यात्रियों की सुरक्षा पर इस तरह के बोझ के प्रतिकूल परिणाम अपेक्षित है, ग्रामीण परिवहन सेवा में बहुत अधिक कटौती की जा रही है व किराये का तमाम बोझ यात्रियों पर डालने का प्रयास हो रहा है, उड़ीसा व बिहार में राज्य सड़क परिवहन में जबरदस्त कमी की गई है तथ उसे मामूली सेवाओं तक सीमित कर दिया गया है, इसके परिणाम स्वरूप झारखंड व छत्तीसगढ़ में राज्य सड़क परिवहन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है फलतः हजारों श्रमिकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है तथा लाखों यात्रियों को निजी संचालकों की दया पर छोड़ दिया गया है।

मोदीनीत भाजपा सरकार सत्तासीन होने के बाद अति उत्साह से नव उदार नीतियों को लागू कर रही है, कार्य संभालने के तुरन्त बाद इसने निजी निगमों के लिए व्यवसाय करने में आसानी लाने के उपायों को शुरू कर दिया और बहाना किया जा रहा है कि इससे दुर्घटनाएं कम होगी और सुरक्षा प्रदान होगी। मोटर वाहन संशोधन बिल द्वारा अपने नव उदार कार्यसूची केन्द्र सरकार अपने इन बिलों को प्रोजेक्ट करने के लिए विज्ञापनों पर भारी राशि खर्च कर रही है। इनका असली इरादा केवल राज्य सड़क परिवहन निगमों को खत्म कर इस विशाल क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपना है। राज्य परिवहन निगमों पर मोटर वाहन संशोधन विधेयक के प्रभाव, वर्तमान मोटर वाहन एक्ट 1988 के तहत कांट्रेक्ट कैरिज व स्टेज कैरिज के दो अलग–अलग प्रकार के परमिट दिये जाते हैं। निजी ऑपरेटरों को कांट्रेक्ट कैरिज परमिट दिया जाता है, लेकिन ये अवैद्य रूप से स्टेज कैरिज गाड़ियों की तरह व्यक्तिगत यात्रियों को यात्रा करवाकर परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए राज्य परिवहन निगमों के अवैध राजस्व को लूट रहे हैं, यह मोटर वाहन संशोधन बिल अब निजी ऑपरेटरों के इस अवैध कार्य को वैध बनाने का प्रयास है। यह दोनों प्रकार के परमिट के विलय कर चोर को चाबिंया सौंपने का षडयंत्र है। प्रर्वतन सुनिश्चित करते हुए उल्लंघन करने वालो को दंडित करने के उपाय करने को बजाय, सरकार मुक्त हाथों से राज्य परिवहन निगमों को बंद करना चाहती है।

अंतिम मील तक पहुंच बनाने के रूप में मोटर वाहन संशोधन बिल, प्राधिकरण के रास्ते के लिए वाहन के लिए किसी भी स्थिति को परमिट को छोड़ने के लिए प्राधिकृत करता है, ऑप्रेटर को अपने विवेकाधिकार से काम करने की अनुमति दी जायेगी, यह ऑप्रेटर को अंधी छूट देने के अलावा कुछ भी नहीं है। संक्षेप में इन सभी उपायों का एकमात्र उद्देश्य राज्य परिवहन निगमों के कमजोर करने तथा निजी निगमों को सौंपने का लक्ष्य है।

बहुमत के कारण बीजेपी सरकार ने लोकसभा में यह बिल पारित करवा लिया है, परन्तु राज्य सभा में भाजपा के पास बहुमत न होने के कारण यह बिल पारित नहीं हुआ है, परिवहन श्रमिकों, केन्द्रीय व्यापार संघो, ट्रेड यूनियनों तथा अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों व लोगों का समर्थन व संसद में वाम दलों के विरोध के कारण बीजेपी इस बिल को आज तक पारित नहीं करवा सकी।

अगर राज्य परिवहन उपक्रम बंद हो जाए तो क्या होगा –

1. श्रमिकों को लाभ के लालची निजी ऑप्रेटरों द्वारा शोषण के अधीन किया जाएगा, वर्तमान में एसटीयूएस में काम कर रहे हजारों कर्मचारी अपनी नौकरियां खो देंगें।
2. लोग, विशेष रूप से दूरदराज गाँव एवं जनजातीय क्षेत्रों में सस्ती और विश्वसनीय परिवहन से वंचित रहेंगें।
3. छात्र रियायतें खो देगें, बदले में यह गरीब छात्रों, खासकर लड़कियों के लिए अतिरिक्त बोझ पैदा करेगा, कई गरीब बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जायेंगें।
4. एससी/ एसटी को नौकरियों में आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा।
5. दुर्घटना दर, यातायात जाम, प्रदूषण का स्तर खराब हो जाएगा।
6. न केवल मजदूर, बल्कि आम लोग भी किफायती परिवहन से वंचित रहेंगें।

लेकिन राज्य सड़क परिवहन निगमों को बचाने राज्य सड़क परिवहन निगमों का यह संघर्ष, खतरनाक, एमवी संशोधन बिल को रोकने के लिए करने का संघर्ष करना पड़ेगा। यह बिल आम लोगों की सेवा करने वाले राज्य सड़क परिवहन निगमों के लिए ढंके की चोट पर समाप्ति है जो अकेले सड़क परिवहन श्रमिको का संघर्ष नहीं है। यह मजदूर लोगों, श्रमिकों, किसानों, कृषि श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, मछुआरों और अन्य लोगों के सभी वर्गों का संघर्ष है। राज्य सड़क परिवहन निगमों को बचाने के लिए हम सभी की जिम्मेदारी है जो गरीबों के लिए सस्ती और सुरक्षित परिवहन प्रदान करती है।

8–9 जनवरी की आम हड़ताल जनविरोधी मोटर वाहन संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग करती है। राज्य सड़क परिवहन निगमों को बचाने और आगे आगे बढाने के उपायों की मांग करना है। यह नवउदार नीति व्यवस्था के उलट की मांग करना है जो निजी निगमों को रियायतों, छूट और उनके मुनाफे को बढ़ाने के लिए अनुकूल है और आम लोगों, श्रमिकों, किसानों और कृषि श्रमिकों पर भारी बोझ लगाता है। सरकार को चेतावनी देना है कि ऐसे कार्यकर्ता विरोधी, किसान विरोधी और जनविरोधी नीतियों को और बर्दाश्त नही किया जाएगा।

इन्टक, एटक, एच.एम.एस., सीटू, ए.आई.सी.सी.टी.यू., टी.यू.सी.आई. एल.पी.एफ. और अनेक फेडरेशनों के बैनर तले सभी क्षेत्रों के संगठित एवं असंगठित मजदूर 8–9 जनवरी की देशव्यापी आम हड़ताल में भाग लेने जा रहे हैं। ऑल इण्डिया रोड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन सभी राज्य परिवहन मजदूरों से अपील करता है कि संघर्षशील जनता के साथ खड़े हों और बड़ी तादाद में हड़ताल में शिरकत करें।

मांगें:–

- बेरहम एमवीएक्ट संशोधन विधेयक वापस लो और परिवहन उद्योग को बचाओ।
- गैर–संगठित सड़क परिवहन मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम लागू करो।
- परिवहन (वाणिज्यिक) ड्राइवर्स श्रम विभाग में पंजीकृत किये जायें।
- गैर–संगठित सड़क परिवहन मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी रु० 24,000/- तय हो।
- थर्ड पार्टी बीमा की प्रीमियम राशि को कम किया जाये।
- टोल टैक्स को तर्कसंगत बनाओ और उसमें कमी लाओ।
- पिछली अधिसूचना दिनांक 29–12–2016 (शुल्कों में वृद्धि) को वापस लो।
- सड़क परिवहन क्षेत्र के सभी हिस्सेदारों को सुरक्षा दो।
- पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाया जाए और राज्य सरकारों की आय में कमी की भरपाई की जाए।
- प्रीफैब्रिकेटेड बसों पर जीएसटी दर कम करो।
- वित्तीय सहायता के साथ राज्य परिवहन निगमों को संरक्षण और सुरक्षा दो।

उन सरकारों के खिलाफ जो 0.1 प्रतिशत के लिए काम करते है

नीतियों के लिए जो 99.9 प्रतिशत के लिए फायदेमंद है

एकता में ताकत है - संघर्ष एक हथियार है!

दिनांकः 29 दिसम्बर, 2018

ऑल इण्डिया रोड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन